

कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली
(खनन अनुभाग)

पत्रांक- 230 / खनन पट्टा / 2023-24

दिनांक- 22/11/2023

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद रायबरेली के नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम के 02 रिक्त क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-781/86-2020-14 (सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में पूर्व में कार्यालय पत्र संख्या 30/खनन पट्टा/2023 दिनांक 05.06.2023 द्वारा ई-निविदा आमंत्रित की गयी थी। पुनः उक्त खनन क्षेत्रों को अधिकतम 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा ई-निविदा डालने की तिथि 04/01/2024 से 10/01/2024 समय सायं 05:00 बजे तक निम्न क्षेत्रों के लिए पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण:-

क्र 0 सं 0	तहसील/जनपद	ग्राम व नदी	खण्ड संख्या/गाटा संख्या	क्षे0 (हे० में)	दर (प्रति घनमी० में)	खनन योग्य निर्धारित/आंकलित उपखनिज की मात्रा (घ०मी० में)	आधार मूल्य (रायल्टी दर निर्धारित/आंकलित मात्रा	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायबरेली तहसील लालगंज	खजूरगांव (गंगा नदी) एरिया कोड-1448620102	खजूरगांव /खण्ड सं० 01, गाटा सं० 1395मि	8.31 हे०	55.00	62325	34,27,875 / -	17,13,938 / -
2	रायबरेली तहसील लालगंज	खजूरगांव (गंगा नदी) एरिया कोड-1448620103	खजूरगांव /खण्ड सं० 02, गाटा सं० 1395मि	11.30 हे०	55.00	84750	46,61,250 / -	23,30,625 / -

क्र० सं०	तहसील/जनपद	ग्राम व नदी	खण्ड संख्या/गाटा संख्या	सीमाएं	जियो कोर्डिनेट्स		
1	2	3	4	5	6		
1	रायबरेली तहसील लालगंज	खजूरगांव (गंगा नदी)	खजूरगांव/खण्ड सं० 01, गाटा सं० 1395मि	पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में गाटा सं० 1395मि० का शेष भाग	A	26° 03' 49.18"N	80° 57' 05.54"E
					B	26° 03' 50.45"N	80° 57' 19.01"E
					C	26° 03' 43.26"N	80° 57' 19.85"E
					D	26° 03' 41.94"N	80° 57' 06.58"E
2	रायबरेली तहसील लालगंज	खजूरगांव (गंगा नदी)	खजूरगांव/खण्ड सं० 02, गाटा सं० 1395मि	पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में गाटा सं० 1395मि० का शेष भाग	A	26° 03' 50.54"N	80° 57' 19.94"E
					B	26° 03' 52.23"N	80° 57' 38.08"E
					C	26° 03' 45.21"N	80° 57' 39.47"E
					D	26° 03' 43.38"N	80° 57' 21.00"E

- अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिए होगी।
- जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मोरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।

3. किसी भी क्षेत्र के ई-निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहाँ वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
4. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उप खनिज बालू, मोरम, बजरी, बोल्टर की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
 - (क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टीफाइंग एजेन्सी से टाइप-III का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
 - (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से <http://etenders.up.nic.in> पर आनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा <http://etenders.up.nic.in> के पोर्टल पर उपलब्ध आनलाइन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित युजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।
 - (ग) बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
 - (घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. निविदादाता द्वारा आनलाइन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय <http://etenders.up.nic.in> पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप-2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

प्रारूप-2 की सूचनायें:

 - क. विज्ञापित संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
 - ख. विज्ञापित में क्षेत्र का क्रमांक
 - ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो0नं0
 - घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है।
 - ड. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 15000/- का चालान संख्या व दिनांक
 - च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक
 - छ. पैन कार्ड का क्रमांक
 - ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहाँ से जारी किया गया हो।
 - झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र:-


 - क. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0 15000/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।
 - ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र

ग. पैन कार्ड ।

घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहार धारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।


ड. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

7. विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस अर्थात् दिनांक 11/01/2024 अपरान्ह 04:00 बजे कलेक्ट्रेट रायबरेली में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।
8. यदि निविदाकार द्वारा विन्दु संख्या-6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप-2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्य दिवस) तक सम्बन्धित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाइन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।
11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
12. प्राप्त ई-निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।
13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरण कराना होगा। जिन क्षेत्रों के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नहीं है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा-पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।
14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् खनन अनुज्ञापत्र निर्गत किया जायेगा।






16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संकियाएं सम्पादित करेगा।
17. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तों का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
18. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय-समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
19. अन्य नियम एवं शर्तः-जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाये।


जिलाधिकारी
रायबरेली।

पत्रांक- तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
7. समस्त उपजिलाधिकारी, रायबरेली को तहसील के सूचना पट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रायबरेली।
9. ई0डी0एम0, एन0आई0सी0, रायबरेली को etenders.up.nic.in पर टेन्डर अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला सूचना अधिकारी, रायबरेली को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
11. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, रायबरेली को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।


जिलाधिकारी
रायबरेली।